कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर (राजस्थान)

वन भवन, जयपुर रोड़, अजमेर दूरभाष संख्या–0145–2429796 (ऑफिस) E-mail:- dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ14( ) एफसीए / उवसं / 2019–20 / दिनांक :

Full Title of the Project "Widening and Curve Improvement on Existing Road alignment between Existing chainage 17.350km to 19.600km of Kishangarh - Hanumangarh Mega Highway Project. Village-Chakbeer, Tehsil-Roopangarh, District-Ajmer (Rajasthan)".

Proposal No. : FP/RJ/Road/18883/2016

Applied Forest Area : 4.47 Hectare

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन के कारण प्रयोक्ता अभिकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शास्ति का विवरण

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 4.47 है0 वनभूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व 0.5592 है0 वनभूमि पर सक्षम स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य कर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार राज्य सरकार की जन उपयोगी परियोजनाओं हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने पर उल्लंघित दिनांक से उल्लंघित क्षेत्र पर NPV राशि की 20 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 5 वर्षो तक मय 12 प्रतिशत ब्याज के शारित के रूप में देय होगी।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 4.47 है0 वनभूमि में से 0.5592 है0 वनभूमि पर सक्षम स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य करा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करने के कारण निम्नानुसार शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित वन क्षेत्र – 4.47 है0

उल्लंघित वन क्षेत्र – 0.5592 है0

एन0पी0वी0 दर – 6,26,000 / – प्रति है0

प्रस्तावित शास्ति – 3,50,059 / – (0.5592x0.2x5x626000)

नोट : प्रस्तावित शास्ति के अलावा प्रयोक्ता अभिकरण को 12 प्रतिशत ब्याज भी जमा करवाना होगा जिसकी गणना सैद्धान्तिक स्वीकुती के पश्चात डिमान्ड नोट जारी करने के दोरान उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक,
अजमेर